भारत की संसद

- भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं।
- राष्ट्रपति विधानमंडल का एक हिस्सा है लेकिन वह संसद में नहीं बैठता है।
- संसद या लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है

संसद के मुख्य कार्य हैं:

1) कैबिनेट प्रदान करना।
2) कैबिनेट का नियंत्रण।
3) मंत्रिमंडल की आलोचना।
4) **संसद सूचना को आधिकारिक रूप से सुरक्षित करती है.**
5) विधान यानी कानून बनाना (सन्दर्भ.: अनुच्छेद. 107; 108; 245)
6) वित्तीय नियंत्रण

राज्यसभा और लोकसभा

- राज्यसभा 250 सदस्यों से बना है, जिनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित हैं और 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं जो अप्रत्यक्ष चुनाव की विधि द्वारा चुने गए हैं। {अनुच्छेद. 80).
- 12 नामांकित सदस्य विज्ञान, कला, साहित्य और सामाजिक सेवा में विशिष्ट व्यक्ति हैं
- राज्यसभा पूरी तरह से भंग नहीं हुई है। यह एक स्थायी निकाय है। इसके सदस्य 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे
- प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से चुना जाता है.

लोक सभा की प्रस्तुत रचना है:

- राज्यों के 530 प्रतिनिधि;
- केंद्र शासित प्रदेशों के 20 प्रतिनिधि।
- एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नामित.
  - वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं (530 सदस्य सीधे राज्यों से और 13 यूटी से चुने जाते हैं).
  - राज्यों के प्रतिनिधि सीधे राज्यों के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।
  - प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है और अन्यथा अयोग्य नहीं है, ऐसे चुनाव में वोट देने का हकदार है (अनुच्छेद. 326).
  - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है (अनुच्छेद. 330, 341, 342).
  - राज्य परिषद भंग के अधीन नहीं है। यह एक स्थायी निकाय है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं।
  - लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल पूरा होने से पहले इसे भंग किया जा सकता है।

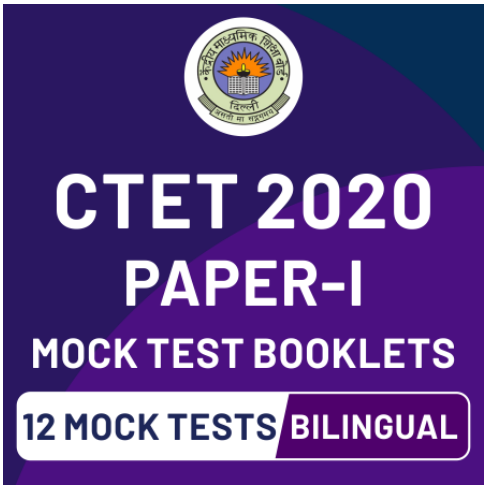

- आपातकाल के दौरान, लोकसभा का कार्यकाल संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
- विस्तार एक समय में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं किया जा सकता है और इसे संचालित करने के लिए आपातकाल की घोषणा के छह महीने की अवधि के बाद भी जारी नहीं रखा जा सकता है.
- एक सत्र संसद की पहली बैठक और संसद के प्रचार के बीच का समय होता है।
- एक नए सत्र में संसद के फिर से शुरू होने और फिर से विधानसभा के बीच की अवधि को अवकाश कहा जाता है। एक सत्र के भीतर, कई दैनिक बैठकें स्थगित होती हैं, जो एक निश्चित समय के लिए किसी व्यवसाय के आगे के विचार को स्थगित कर देती हैं.

किसी सदन के बैठने को विघटन, छंटनी या स्थगन द्वारा समाप्त किया जा सकता है।:

- जबकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विघटन और प्रचार की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के दैनिक बैठक को स्थगित करने की शक्ति क्रमशः अध्यक्ष और अध्यक्ष की है।
- एक विघटन लोकसभा को समाप्त करता है, ताकि नए सिरे से चुनाव हो, जबकि प्रचार केवल एक सत्र को समाप्त करता है। स्थगन संसद के सत्र को समाप्त नहीं करता है, लेकिन केवल एक निर्दिष्ट समय, घंटे, दिन या सप्ताह के लिए व्यापार के आगे के लेन-देन को स्थगित कर देता है.
- लोकसभा के विघटन पर सभी मामले सदन की चूक के समक्ष लंबित हैं। यदि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हें नए चुनाव के बाद अगले सदन में फिर से पेश किया जाना चाहिए.
- राज्य सभा में लंबित एक विधेयक, जो अभी तक लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, विघटन पर व्यतीत नहीं होगा।
- लोकसभा और राज्य सभा के संयुक्त बैठक में विघटन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यदि राष्ट्रपति ने विघटन से पहले संयुक्त बैठक आयोजित करने के अपने इरादे को अधिसूचित किया है { अनुच्छेद. 108(5)}.

संसद सदस्य बनने के लिए योग्यताएँ हैं:

- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- लोकसभा के मामले में 25 वर्ष से कम और राज्य सभा के मामले में 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
- अतिरिक्त योग्यता संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती है (अनुच्छेद. 84).

किसी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, यदि:

- वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का कोई भी कार्यालय रखता है;
- वह अस्वस्थ मन का है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित खड़ा है;
- वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी विदेशी शक्ति के लिए स्वीकार या निष्ठा या पालन के अधीन है;
- वह संसद द्वारा बनाए गए या किसी भी कानून के तहत अयोग्य है (अनुच्छेद. 102).
- योग्यता संबंधी एक विवाद में चुनाव आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम है (अनुच्छेद. 103).
- यदि सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि के लिए सदन की सभी बैठकों से सदस्य अनुपस्थित रहता है, तो सदन सीट को रिक्त घोषित कर सकता है.